न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

पीठासीन अधिकारी — रामचरण शर्मा आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 62/अपील/18 — तारीख दायरा 10.05.18

1. रूघनाथ आ0 प्रभूलाल मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
2. श्याम आ0 प्रभूलाल मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
3. रामस्वरूप आ0 प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
4. जगदीश आ0 प्रभूलाल जाति मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
5. रामप्यारी पुत्री प्रभूलाल पत्नि भंवरलाल जाति मेघवाल नि0 अकलेरा तहसील अकलेरा
6. शान्तिबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि बाबूलाल मेघवाल निवासी निवासी अकलेरा
7. रामलाल आ0 भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
8. रामस्वरूप आ0 भंवर लाल जाति मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
9. राजू आ0 भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी अकलेरा तहसील अकलेरा
10. रूकमणी बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि देवीलाल जाति मेघवाल निवासी अकतासा तहसील झा0पाटन
11. मोना बाई पुत्री भंवरलाल पत्नि रामलाल जाति मेघवाल निवासी देवरीकंला तहसील अकलेरा।

—————————अपीलान्ट

बनाम

1. रामकन्या बाई पुत्री छोटूलाल पत्नि मथुरालाल जाति मेघवाल निवासी काल्या जागीर तहसीलदार छीपाबडोद जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा0 अकलेरा

—————————रेस्पोडेन्टस

<u>अपील बनाराजगी आदेश न्यायालय तहसीलदार अकलेरा</u> दिनांक 13.06.17 नामा0सं0 218

उपस्थितः— 1. श्री संजय सक्सेना वकील अपीलान्ट
2. श्री श्यामसुन्दर II वकील रेस्पो0 नं0 1

न्यायालय ए.डी.एम. झालावाड़ (राज.)

—: निर्णयः— दिनांकः— 06.09.18

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार अकलेरा के निर्णय दिनांक 13.06.17 के विरूद्व पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रम्भा पुत्री देवा का स्वर्गवास हो गया है–जिसके उत्तराधिकारी में एक पुत्र प्रभूलाल व दो पुत्री कजोडीबाई, रामकन्या है– रम्भा बाई अपने पुत्र प्रभूलाल के साथ रहती थी इसका इन्द्राज प्रभूलाल के परिवार राशन कार्ड में भी दर्ज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच किये रामकन्या बाई अकेले के नाम इन्तकाल खोल कर कानूनी गलती की है–अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार रम्भा मृतक के सभी उत्तराधिकारगण के बारे में किसी भी प्रकार की जॉच नही की है–पटवारी हल्का द्वारा द्वारा गलत रिपोर्ट तथा शजरा खानदान भी गलत बनाया गया–रम्भा के पुत्र प्रभूलाल का स्वर्गवास हो गया है,

(1)

अति० कलक्टर एवम्
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

P.T.O

जिसके उत्तराधिकारी में चार लड़के रूघनाथ, श्याम, रामस्वरूप, जगदीश है तथा दो लड़की रामप्यारी, शान्ती बाई है–रम्भी की पुत्री कजोडी बाई का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके तीन पुत्र रामलाल, रामस्वरूप, राजू है तथा दो पुत्री रूकमणीबाई, मोनाबाई है–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अपीलान्टस को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2017 का पता दिनांक 14.03.08 को चला–अतः अपील अपीलान्टस अन्दर मियाद दर्ज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेरे अपील निरस्त किया जावें।

अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस को जर्ये सम्मन तलब किया गया रेस्पोंडेन्टस नं0 1 की ओर से वकील श्री श्यामसुन्दर द्वितीय द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई, वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील ममो को दोहराते हुए अनुरोध किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नियम विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है, अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2017 निरस्त किया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषकगण पर गौर किया गया। हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल नं. 218 जो तस्दीक किया गया है, को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 218 दिनांक 13.06.17 ग्राम खोखेड़ालाला तहसील अकलेरा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस प्रकरण में सभी संबंधित पक्षकारों को एक बार पुनः तलब कर उनका पक्ष सुने तथा आवश्यक तहकीकात कर पुनः विधि अनुरूप इन्तकाल तस्दीक करने की कार्यवाही अमल में लावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06.09.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

(रामचरण शर्मा)
अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त
जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)